पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 00688

Date /दिनांक: 17/01/2022

संचिका सं0– P/LOHANIPUR/PCN-2B+G+6/360/2021
(ऑटो मैप सं०–PMC-BPAS-00790/2021/BP)

सेवा में,

SRI AMARJEET KUMAR SINGH & OTHERS
S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH
EAST LOHANIPUR, PS-KADAMKUAN,
PATNA (BIHAR).,

विषय :– **प्लॉन केस सं0– P/LOHANIPUR/PCN-2B+G+6/360/2021 ऑटो मैप आवेदन संख्या– PMC BPAS-00790/2021/BP** की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या– P/LOHANIPUR/PCN-2B+G+6/360/2021 ऑटो मैप आवेदन संख्या– PMC BPAS-00790/2021/BP के संदर्भ में **SRI AMARJEET KUMAR SINGH & OTHERS,** S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH, EAST LOHANIPUR, PS-KADAMKUAN, PATNA (BIHAR)., पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सी० एस० प्लाट सं०–294(P), सी० एस० खाता सं०–85, थाना सं०–06, मौजा– LOHANIPUR, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय–सह–व्यवसायिक** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **3649.81** वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **28.70** मीटर से **33.50** मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **(अतिरिक्त भू–पट्टी–136.81 वर्ग मीटर)** चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) नक्शा स्वीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण स्थल को ढक कर रखेंगे तथा निर्माण सामग्री सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखेंगे।

(त) ज्ञापांक–2206, दिनांक–03.12.2021 उपकर निर्धारण पदाधिकारी सह उप श्रमायुक्त, पटना के आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा 04 (चार) बराबर किस्तों में उपकर निर्धारण का अनुरोध किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार आवेदक की कुल 23,40,850.00 रू० (तेईस लाख चालीस हजार आठ सौ पचास रू०) चार किस्तों में जमा करना हैं। इस प्रकार प्रत्येक किस्त की राशि 5,85,212/– (पाँच लाख पच्चासी हजार दो सौ बारह रूपये) आवेदक को जमा करना है। जिसके उपरान्त आवेदक द्वारा प्रथम किस्त की राशि 5,85,212/– (पाँच लाख पच्चासी हजार दो सौ बारह रूपये) डी०डी० द्वारा जमा किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में नक्शे की स्वीकृति वापस लेने की कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

17/01/2022

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: ००६९३

Date /दिनांक: 17/01/2022

संचिका सं०– P/LOHANIPUR/PCN-2B+G+6/360/2021
(ऑटो मैप सं०–PMC-BPAS-00790/2021/BP)

सेवा में,

1. SRI AMARJEET KUMAR SINGH & OTHERS
S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH
EAST LOHANIPUR, PS-KADAMKUAN,
PATNA (BIHAR).,
2. अभियंता – PANKAJ KUMAR KARN, निबंधन सं०– ER/10/2018
पटना नगर निगम।
3. संरचना अभियंता – AMRENDRA KUMAR, निबंधन सं०– SE/01/2018
पटना नगर निगम।

विषय :– प्लॉन केस सं०– P/LOHANIPUR/PCN-2B+G+6/360/2021 ऑटो मैप आवेदन संख्या– PMC-BPAS-00790/2021/BP के निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता के द्वारा (अतिरिक्त भू–पट्टी–136.81 वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान (अतिरिक्त भू–पट्टी–136.81 वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान (अतिरिक्त भू–पट्टी–136.81) भू–पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र–ग में जमा करना संबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद /सरंचना अभियंता/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही /उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

17/01/2022

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Date:14.12.2021

To
The Director,
Urban Planning Division,
Patna Municipal Corporation,
Patna

Ref.: Your Letter No. 15138 & 15139 Dt. 15.11.2021
Plan case No. P/LOHANIPUR-PCN-2B+G+6/360/2021
Automap Application No. PMC-BPAS-00790/2021/BP

Sub.: Submission of documents & D.D. Copy.

Dear Sir,

With reference to above mention subject and your letter, I do hereby submitting the copy of Demand Drafts along with other documents, which has been already deposited as per your direction.

A demand draft of Rs. 9,62,650.00 (Rupees Nine Lakh Sixty-Two Thousand Six Hundred and Fifty only) vide DD No. 510275 issued from SBI, SME Dak Bunglow branch dt. 13.012.2021 had been deposited in Bank of India, Secretariat Br. on 14.12.2021. Original deposit slip along with copy of demand draft are enclosed herewith.

A demand draft of Rs. 5,82,212.00 (Rupees Five Lakh Eighty-Two Thousand Two Hundred and Twelve only) at BOCW office, Niyojan Bhawan, Patna vide DD No. 510265 Dt. 04.12.2021 issued from SBI, SME Dak Bunglow Br. on 09.12.2021. Labour department has allowed me to deposit Rs. 23,40,850.00 (Twenty-three Lakh Forty Thousand Eight hundred and Fifty Only) in four equal installments vide their approval letter no. 2206 Dt. 03.12.2021. A copy of order along with DD Copy and Receipt copy original are enclosed herewith for your kind perusal please.

Sir, I have deposited all the requisite fees as per your requirement. Thus, I request you to kindly issue the Map as early as possible.

Thanking you.

With warm regards,

Amarjeet Kumar Singh

(AMARJEET KUMAR SINGH)

Encl.:
1. Shelter Fund DD copy along with Original Deposit Slip.
2. Labour Cess DD copy along with Original Receipt Copy and Part Payment Approval Letter.

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 15138

Date /दिनांक: 15/11/2021

संचिका सं०– P/LOHANIPUR-PCN-2B+G+6/360/2

प्रेषक,

निदेशक
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

Sri Amarjeet Kumar Singh & Others
S/O- Late Achyutanand Singh
East Lohanipur, P.S- Kadamkuan
Bihar, Patna

विषय :– किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लग) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के संद में।

प्रसंग :– नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या–937 दिनांक–11.04.2018 के आलोक आश्रय निधि (Shelter Fund) जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा समर्पित भवन के नक्शे की प्र केस सं0–P/LOHANIPUR-PCN-2B+G+6/360/2021 तथा ऑटोमैप आवेदन संख्या–PMC-BPA 00790/2021/BP पर किये जा रहे कार्रवाई के तहत् आश्रय निधि (Shelter Fund) की राशि रू० 9,62,650 (नौ लाख बासठ हजार छः सौ पचास रू०) निम्नरूपेण– Shelter Fund के नाम देय एवं बैंक ऑफ इंडि सचिवालय शाखा, पटना में भुगतेय डी०डी० के माध्यम से या बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा, पटना में पो खाता संख्या–442920110000194, IFSC Code-BKID0004429 में जमा करेंगे। साथ ही साथ आश्रय नि (Shelter Fund) की प्राप्ति प्रति शहरी योजना शाखा कार्यालय पटना नगर निगम में समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन,

13/11/21

निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम।

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
Branch: SPEC. COMM. BRANCH: PATNA(4232)
CODE No: 04232
0612-2204317

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: YOLCOQ
Sr. No: 715450

1	3	1	2	2	0	2	1
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जानेपर SHELTER FUND ********** या उनके आदेश पर
ON DEMAND PAY OR ORDER

रुपये RUPEES Nine Lakh Sixty Two Thousand Six Hundred and Fifty Only

अदा करें ₹ 962650.00

IOI 000462510275
Name of Applicant

Key: YOLCOQ Sr. No: 715450
CRATUS PARAAK INFRA LLP

AMOUNT BELOW 962651(0/6)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: PATNA MAIN BRANCH
पोस्ट कोड . /CODE No: 00152

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा-प्रबंधक,
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

"510275" 00000 20001: 000462" 16

जमा/भुगतान पर्ची

बी ओ आई
बैंक ऑफ इंडिया

शाखा : SECRATERIATE

दिनांक : 14/12/2021

एसबी/सीए/ओडी/सीसी/आरडी/टीएल/
डीएल खाता सं./क्रेडिट कार्ड नं.
142920110000194

नाम/Name. SHELTER FUND

टेली.नं./Tele.No.

रुपये: रु. 962650/- पैसे —

राशि अक्षरों में/Rs. in words NINE LAKH SIXTY TWO THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY

	रु०		पैसे
510275	962	650	—
SBI SME			
BAKSBI0004200			
कुल	962	650	—

अधिकारी/बैंक ऑफ इंडिया/एसडब्ल्यूओ

पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 15139

Date /दिनांक: 15/11/2021

संचिका सं०– P/LOHANIPUR-PCN-2B+G+6/360/202

प्रेषक,

निदेशक
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

Sri Amarjeet Kumar Singh & Others
S/O- Late Achyutanand Singh
East Lohanipur, P.S- Kadamkuan
Bihar, Patna

विषय :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 वं अन्तर्गत पटना नगर निगम द्वारा नक्शा पारित करने के वक्त 1% सेस राशि प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :– श्रम संसाधन विभाग, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना वं पत्रांक–बी०सी०डब्लू०सी०–134/2015 श्र०सं०–138 दिनांक– 06.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में आपके द्वारा समर्पित भवन के नक्शे की प्लॉन केस सं०–P/LOHANIPUR-PCN-2B+G+6/360/2021 तथा ऑटोमैप आवेदन संख्या–PMC-BPAS-00790 2021/BP पर किये जा रहे कार्रवाई के तहत् उपकर (Cess) की राशि रू० 23,40,850.00 (तेईस लाख चालीस हजार आठ सौ पचास रू०) निम्नरूपेण– सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार, कल्याण बोर्ड के नाम देय एवं पटना में भुगतेय डी०डी० के माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना में पोषित चालू खाता संख्या–35059942218 IFSC Code-SBIN0018815 में जमा करेंगे। साथ ही साथ उपकर (Cess) की प्राप्ति प्रति शहरी योजना शाखा कार्यालय पटना नगर निगम में समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन,

13/11/21

निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम।

कार्यालय, उप श्रमायुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना।
नियोजन भवन, तृतीय तल, सी–ब्लॉक,बेली रोड, पटना

ज्ञापांक– 2206 पटना, दिनांक– 03.12.2021

सेवा में,

Sri Amarjeet Kumar Singh & Others
S/O-Late Achyutanand Singh
East Lohanipur, P.S- Kadamkuan
Dist-Patna

विषय :– उपकर निर्धारण किस्तों में करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा दिये गये उपकर निर्धारण हेतु आवेदन में प्रस्तावित निर्माण कार्य प्लॉन केस सं0–P/Lohanipur-PCN-2B+G+6/360/2021 एवं Auto Map Application no-PMC-BPAS-00790/2021/BP के लिए उपकर निर्धारण हेतु form-I में अंकित सूचनाएँ तथा अपने निर्माण स्थल का नक्शा की छायाप्रति संलग्न कर उपकर की राशि को चार किस्तों में निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया है।

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम–7 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपकर का निर्धारण आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर किया गया है।उपकर निर्धारण आदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नक– उपकर निर्धारण
आदेश की प्रति संलग्न।

03.12.2021

उपकर निर्धारण पदाधिकारी
–सह–
उप श्रमायुक्त, पटना।

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (cess)अधिनियम 1996 तथा नियमावली, 1998 के अन्तर्गत उपकर (cess) का निर्धारण :–

संबंधित स्थापना	**Sri Amarjeet Kumar Singh & Others S/O-Late Achyutanand Singh, East Lohanipur, P.S- Kadamkuan Dist-Patna**
प्रस्तावित निर्माण	**P/Lohanipur-PCN-2B+G+6/360/2021 ,oa Auto Map Application no-PMC-BPAS-00790/2021/BP**

–आदेश–

Sri Amarjeet Kumar Singh & Others S/O-Late Achyutanand Singh, East Lohanipur, P.S-Kadamkuan Dist-Patna अपने प्रस्तावित निर्माण के लिए P/Lohanipur-PCN-2B+G+6/360/2021 एवं Auto Map Application no-PMC-BPAS-00790/2021/BP भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस (उपकर) अधिनियम 1996 एवं नियमावली, 1998 के अन्तर्गत उपकर की राशि जमा हेतु निदेशक, शहरी योजना शाखा, पटना नगर निगम, पटना के पत्रांक– 15139 दिनांक–15.11.2021 द्वारा आवेदक को पत्र निर्गत किया गया है। उक्त पत्र में लेबर सेस के मद में जमा की जाने वाली राशि 23,40,850.00 (तेईस लाख चालीस हजार आठ सौ पचास रूपये) मात्र निर्धारित है। इसे बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पदनाम से Bank Draft के माध्यम से नियोजन भवन, बेली रोड, पटना में जमा करने हेतु आवेदक को निदेशित किया गया है। इसकी छायाप्रति आवेदक द्वारा अपने प्रस्तावित निर्माण के लिए उपकर निर्धारण किस्तों में करने हेतु दिये गये आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। आवेदक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत form-1 में अंकित प्राक्कलित राशि 23,40,85,000.00 (तेईस करोड़ चालीस लाख पचासी हजार रूपये) मात्र है जिसका 1% उपकर की राशि–23,40,850.00 (तेईस लाख चालीस हजार आठ सौ पचास रूपये) मात्र पटना नगर निगम द्वारा निर्धारित किया गया है। form-1 में आवेदक ने निर्माण की अवधि 04 (चार) वर्ष दर्शाया है एवं उसके आलोक में कुल देय उपकर की राशि को चार बराबर किस्तों में निर्धारित करने का उपकर निधारण पदाधिकारी से अनुरोध किया है।

आवेदक द्वारा दिए गये आवेदन के आलोक में नगर निगम, पटना के द्वारा निर्धारित कुल उपकर की राशि–23,40,850.00 (तेईस लाख चालीस हजार आठ सौ पचास रूपये) मात्र का प्रत्येक वर्षवार निम्न प्रकार निर्धारण किया जाता है :–

प्रथम वर्ष– 5,85,212.00/–अथवा, वास्तविक निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो)
द्वितीय वर्ष–5,85,213.00/– अथवा, वास्तविक निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो)
तृतीय वर्ष–5,85,212.00/– अथवा, वास्तविक निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो)
चतुर्थ वर्ष–5,85,213.00/– अथवा, वास्तविक निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो)

1. अग्रिम के रूप में प्रथम किस्त की राशि–5,85,212.00/– (पाँच लाख पचासी हजार दो सौ बारह रूपये) मात्र निर्माण कार्य के प्रथम वर्ष में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। तत्पश्चात् निर्माण अवधि के उत्तरोत्तर वर्षों में सेस बराबर किस्तों में अथवा उस वर्ष में निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस की राशि देय होगी (जो भी अधिक हो) जो सचिव, बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना है।

2. निर्माण कार्य पूरे होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर सेस की राशि का अंतिम निर्धारण हेतु उपकर निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष कुल वास्तविक लागत प्रस्तुत करेंगें। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम–7(1)(3)(6) तथा नियम–4(2)(5)(6) के आधार पर उपकर का निर्धारण किस्तों में किया गया है।

3. अग्रिम रूप से जमा उपकर की राशि का अन्तिम निर्धारण उक्त नियमावली के नियम–4 के उपनियम –3,4,5 एवं 6 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तावित निर्माणाधीन भवन का प्रस्तावित प्राक्कलन केस सं0– P/Lohanipur-PCN-2B+G+6/360/2021 एवं Auto Map Application no-PMC-BPAS-00790/2021/BP के लिए अग्रिम निर्धारित सेस की राशि को सचिव, बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, नियोजन भवन, पटना में जमा करा दिया जाय तथा भविष्य में व्यय की गई वास्तविक राशि के आधार पर उपकर का निर्धारण किया जायेगा और अन्तर राशि का समायोजन किया जायेगा।

03-12-2021

उपकर निर्धारण पदाधिकारी
–सह–
उप श्रमायुक्त, पटना।

Date:09.12.2021

To
The Secratory,
BOCW ,
Patna, Bihar

Ref.: Office of the deputy Labour commissioner, letter 2206 Dt. 03.12.2021
PRDA Plan Case No. P/LOHANIPUR-PCN-2B+G+6/360/2021
PRDA Letter No. 15139 Dt. 15.11.2021
BOCW Registration No. Application ID. BB_REG/2021/00071 Dt. 09.12.2021

Sub.: **Deposit of Labour cess as per your letter.**

Dear Sir,

With reference to your above letter regarding deposit of Labour Cess of Rs. 23,40,850.00 in 4 equal installments. We do hereby submitting the DD of Rs. 5,85,212.00 vide DD No. 510265 Dt. 04.12.2021 of SBI, SME Dak Bunglow Road Br., as per Letter issued by you.

Your kind acceptance in the regards will be highly solicited by us.

Thanking you.

With warm regards,

Amarjeet Kumar Singh

AMARJEET KUMAR SINGH

Encl.
1. DD Rs. 5,85,212.00 vide No. 510265
2. Labour Office Letter No. 2206 Dt. 03.12.2021
3. PRDA Letter vide No. 15139 Dt. 15.11.2021
4. BOCW Registration Acknowledgement

09 DEC 2021

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India
COMM. BRANCH, PATNA(4232)
No: 04232
204317

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: PAGCEP
Sr. No: 51556

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
0	4	1	2	2	0	2	1

9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

जानेपर SECRATORY, BIHAR BHAWAN EVAM A NYA SANNIRMAN KARMKAR KALYAN — या उनके आदेश पर / OR ORDER

DEMAND PAY B

RUPEES Five Lakh Eighty Five Thousand Two Hundred and Twelve Only

अदा करें | ₹ | 585212.00

I 0004 62510265
Name of Applicant

Key: PAGCEP Sr. No: 51556
CRATUS PARAAK INFRA LLP

AMOUNT BELOW 585213(0/0)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH:PATNA MAIN BRANCH
पेयेइ फ्रं. /CODE No: 00102

SA-263
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

Sreelekha N M R
शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

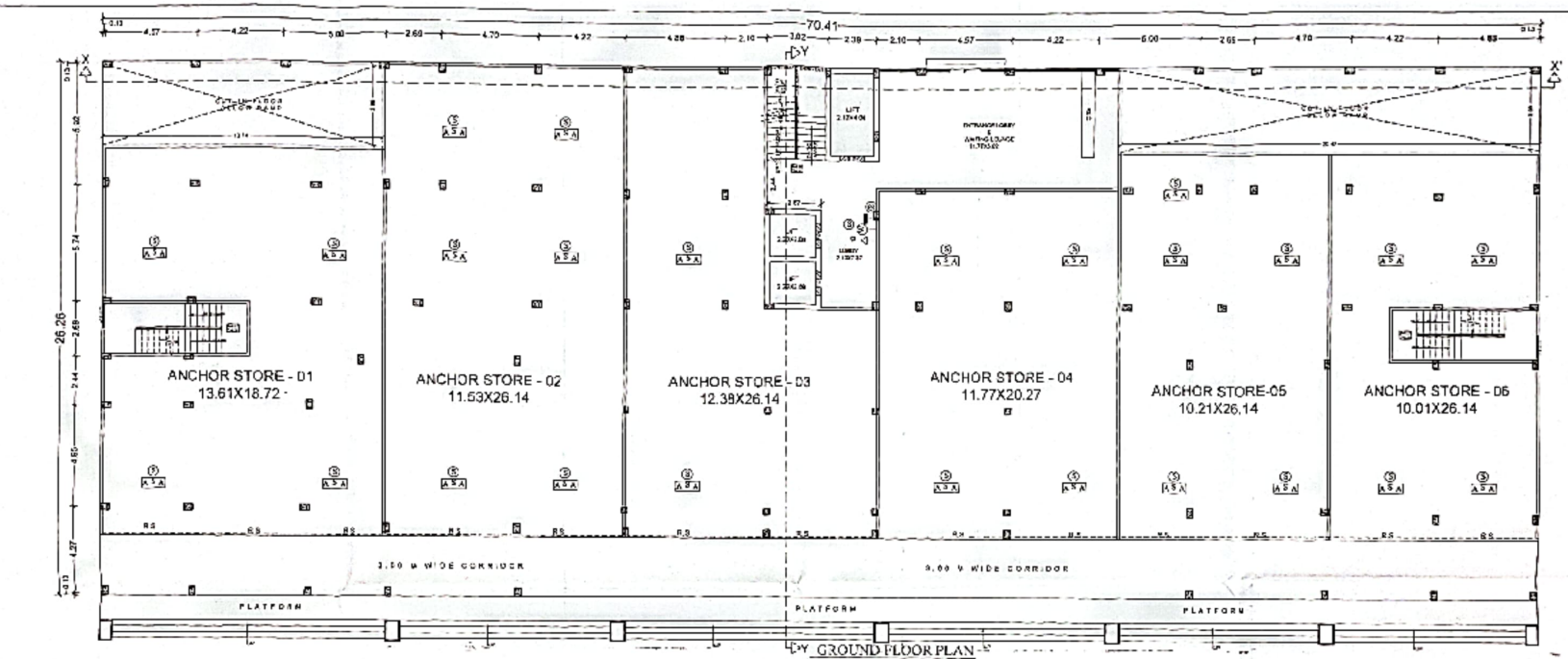
R 8894

₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

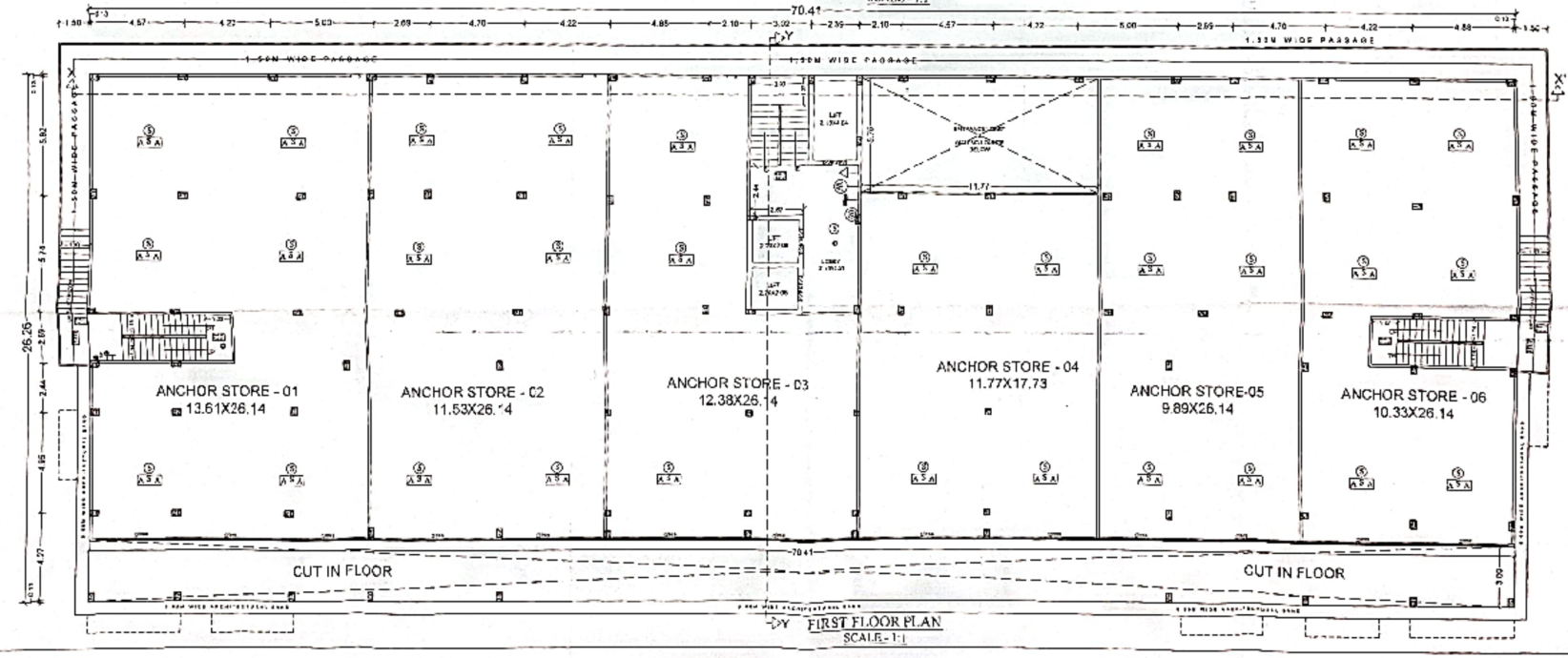
कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈510265⑈ 00000 2000⑆ 00046 2⑈ 16



GROUND FLOOR PLAN
SCALE - 1:1



FIRST FLOOR PLAN
SCALE - 1:1

SPECIFICATION

(1) FOUNDATION	R.C.C PILE FOUNDATION
(2) SUPER STRUCTURE	1st CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTER 1:6.
(3) FLOORING	(GROUND F. P.S FLOORING OVER 75 MM THICK RAMMED KANKAR OVER 150 MM THICK PAT BATTING OVER 1:5:10 SAND FILLING
(4) R.C.C. WORK	SLAB LINTEL, ETC. 1:2:4 GRADE CONCRETE
(5) ROOFING	100 MM THICK R.C.C. OVER 40 MM THICK C.C. ROOF SLAB
(6) PLASTER	20 MM CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE WALL & 10 MM CEMENT PLASTER ON CEILING
(7) DRAIN	10 CM WIDE & 10 CM DEEP PUCCA DRAIN ROUND IN THE BUILDING
(8) OTHER	AS PER CHOICE

बिल्डर/कोलोनाईजर/भू-स्वामी/संबंधित व्यक्ति/ऐजेंसी को निर्देश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग में लाये गये हुई आवश्यक/अनावश्यक सावधानियों के सूचना की दृष्टि से, भवन का निर्माण कार्य पोर्च, लिफ्ट, पार्किंग फ्लैट फ्लोर, सेट की संख्या की और कॉमर्शियल के साथ साथ अन्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे लगाये गये C.C.T.V. कैमरा का अधिष्ठापन जरूरी अग्नि सावधित एवं एवं व्यवस्था के सुरक्षा मापदों के तहत कार्यवाई किया जायेगा।

Terms & Conditions:
1) STP of requisite capacity is to be installed in the campus by the Builder/Owner.
2) Water harvesting and Green area is to be maintained in the premises.
3) Solar power is to be installed in the campus.

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL BUILDING PLAN FOR
01.SHREE AMARJEET KUMAR SINGH
S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH,
02.SHREE KUMAR BRIJANANDAN SINGH
S/O- LATE SACHIDANAND KISHORE PRASAD SINHA,

CS PLOT NO.- 294(P), THANA NO - 06,
C.S .KHATA NO. - 85, MAUZA - LOHANIPUR, P.S -AGAMKUAN ,
DIST. - PATNA(BIHAR).

Er. Pankaj Kr. Karn
(Engineer)
EMP No-ER/10/2018
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

SIGNATURE OF ARCH./ENG.

Dr. Anurendra Kumar
(Structure Engineer)
Reg. No. BE/04/2010 (PMC)

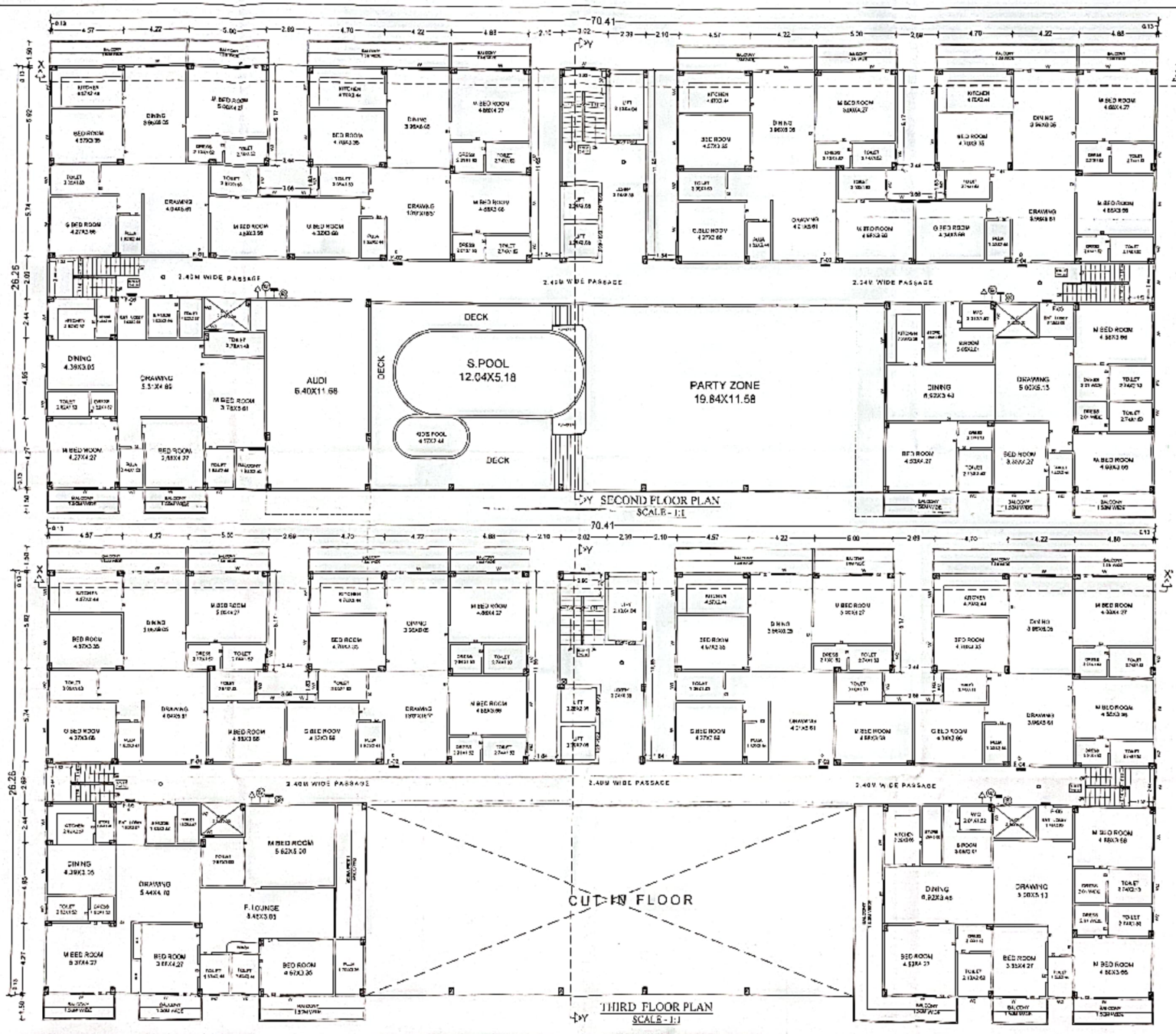
SIGNATURE OF OWNER | SIGNATURE OF STR. ENG.

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
APPROVAL OF CONSTRUCTION PLAN
Case No.
Sanction of Plan Accorded under Section
315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007
by the Municipal Commissioner Patna on
Date 13/11/2021
SANCTION OF PLAN ACCORDED

निदेशक
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना

13/11/21
अवलोकन पदाधिकारी
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना

D3CT



SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL LEV	LIN. LEV.	REMARK
D	1.20	2.10	0.00	2.10	FULLY PANELLED DOORS
D1	1.00	2.10	0.00	2.10	DO
D2	0.90	2.10	0.00	2.10	DO
D3	0.75	2.10	0.00	2.10	DO
W	1.80	1.35	0.75	2.10	FULLY GLAZED WINDOW
W1	1.50	1.35	0.75	2.10	DO
W2	1.20	1.35	0.75	2.10	DO
W3	0.90	1.35	0.75	2.10	DO
W4	0.60	0.75	1.35	2.10	DO

विल्डर/ओनोदद/भू-स्वामी/संबंधित पासुनिदि/अभिकता को निर्देश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग में लाने के पूर्व अग्नीशमन/व्यावसायिक कल्याणकेन्द्र में सुरक्षा की दृष्टि से, प्रवेश द्वार निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट, पार्किंग प्रत्येक फ्लोर, गेट के बाहर की ओर रोशनदान के साथ तथा अन्य वांछित महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च भावक के C.C.T.V. कैमरा का अधिष्ठापन करेंगे अन्यथा संबंधित एवं एवं व्यक्तिगत के सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई किया जायेगा।

Terms & Conditions:

1) STP of requisite capacity is to be installed in the campus by the Building Owner.
2) Water Harvesting and Green area is to be maintained in the premises.
3) Solar power is to be installed in the campus.

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL BUILDING PLAN FOR
01.SHREE AMARJEET KUMAR SINGH
S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH,
02.SHREE KUMAR HRIJANANDAN SINGH
S/O- LATE SACHIDANAND KISHORE PRASAD SINHA,

CS PLOT NO.- 394(P), THANA NO - 06,
CS KHATA NO. - 85,
MAUZA - LOHANIPUR, P.S -AGAMKUAN,
DIST. - PATNA(BIHAR).

Amarjeet Kumar Singh
Kumar Hrijanandan Sinha

Er. Pankaj Kr. Kanu
(Engineer)
ENPM No.-BR/40/2016
PCM ENGINEERING CONSULTANT

SIGNATURE OF ARCH./ENG.

Er. Surendra Kumar
(Structure Engineer)
Reg. No.-BE/8010/18 (P.M.C)

SIGNATURE OF OWNER

SIGNATURE OF STR. ENG.

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
BUILDING (REGULARISATION) DIVISION
Plan No. 2.NA/Com-40/2021/1445
Case No.

Sanction of Plan Accorded under Section 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on

Date 27/01/2022

SANCTION OF PLAN ACCORDED

27/01/2022

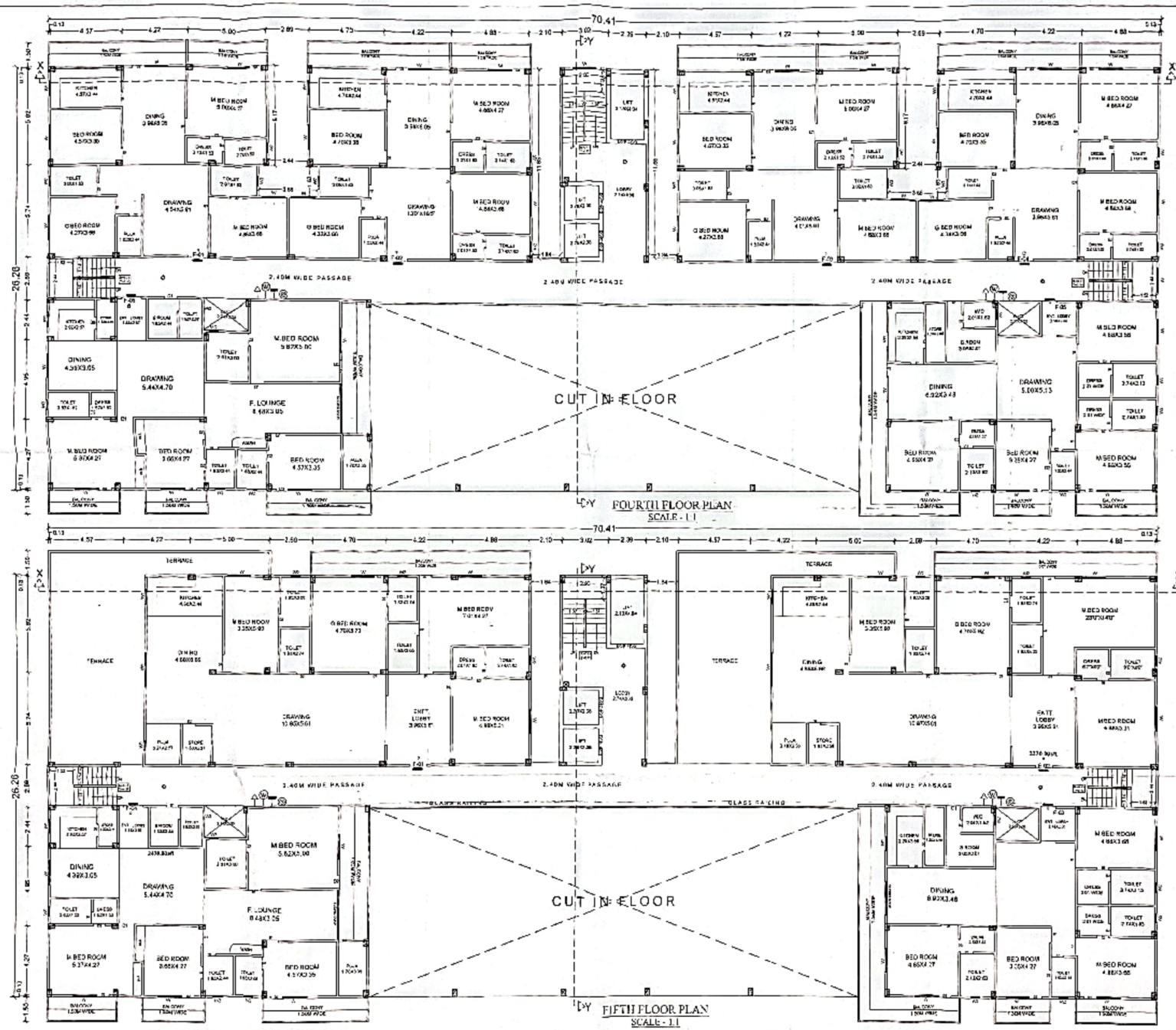
निदेशक
नगरीय योजना
पटना नगर निगम, पटना

12/1/22

अतिरिक्त नगर आयुक्त
नगरीय योजना
पटना नगर निगम

17.01.22

04/07



SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL LEV	LIN. LEV	REMARK
D	1.20	2.10	0.00	2.10	FULLY PANELLED DOOR
D1	1.00	2.10	0.00	2.10	DO
D2	0.80	2.10	0.00	2.10	DO
D3	0.75	2.10	0.00	2.10	DO
		W I N D O W S			
W	1.50	1.20	0.75	2.10	FULLY GLAZED WINDOW
W1	1.50	1.20	0.75	2.10	DO
W2	1.20	1.20	0.75	2.10	DO
W3	0.90	1.20+1.20	2.75+1.05	3.10	DO
W4	2.80	0.75	1.35	2.10	DO

श्री/सर्वश्री/मैसर्स/मे॰ स्वामी/समर्पित दायित्व/अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग में लाने से पूर्व आग/विद्युत/यांत्रिक अभियंत्रण से सुरक्षा की दृष्टि से, प्रवेश द्वार निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट, शाफ्टिंग प्रत्येक फ्लोर, गैट से बाहर की ओर रोशनदान की व्यवस्था अन्य वांछित महत्वपूर्ण स्थानों पर छत्र भवन के C.C.T.V. कैमरा की अभिस्थापन करेंगे अन्यथा समर्थित एजेंट एवं वाईलॉज के तुरंत धाराओं के तहत कार्रवाई किया जायेगा।

Terms & Conditions:-

1) STP of requisite capacity is to be installed in the campus by the Builder/Owner.
2) Water Harvesting and Green area is to be maintained in the premises
3) Solar Power is to be installed in the campus

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL BUILDING PLAN FOR
01. SHREE AMARJEET KUMAR SINGH
S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH,
02. SHREE KUMAR BRIJANANDAN SINGH
S/O- LATE SACHIDANAND KISHORE PRASAD SINHA,

CS-PLOT NO.- 394(P), THANA NO - 86,
C.S. KHATA NO. - 55,
MAUZA - LOHANIPUR, P.S -AGAMKUAN,
DIST. - PATNA(BIHAR).

Amarjeet Kumar Singh
Kumar Brijanandan Sinha

Er. Pankaj Kr. (Garg)
(Engineer)
EMP No.-ER/10/2018
PCM PATNA CORPORATION

SIGNATURE OF ARCH. ENG.

Er. Amrendra Kumar
(Structure Engineer)
Reg No.-BER 10018 (PAN C)

SIGNATURE OF OWNER

SIGNATURE OF STR. ENG.

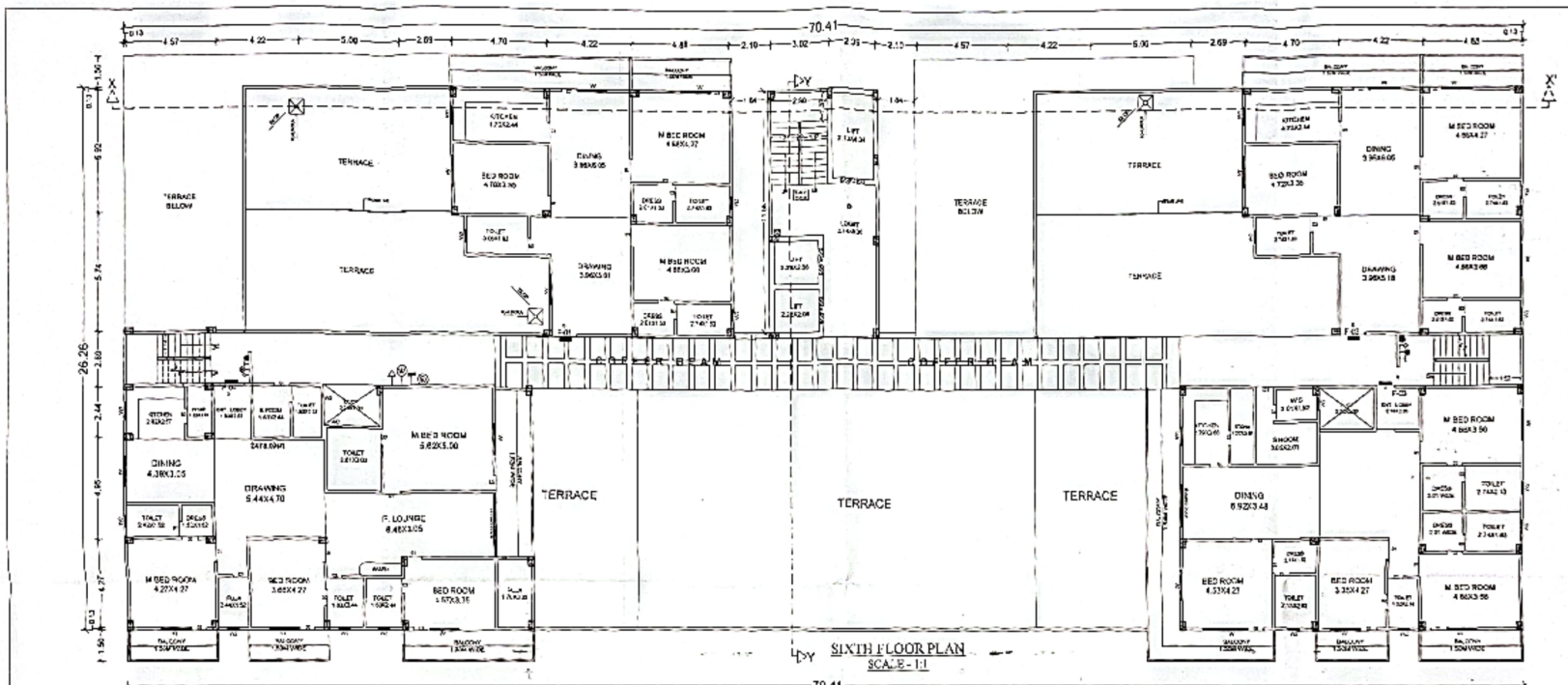
PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Planning/Regl/Plan-46/Trans/345/2021
Case No.
Sanction of Plan Accorded under Section
315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007
by the Municipal Commissioner, Patna on
Date 29/10/2021

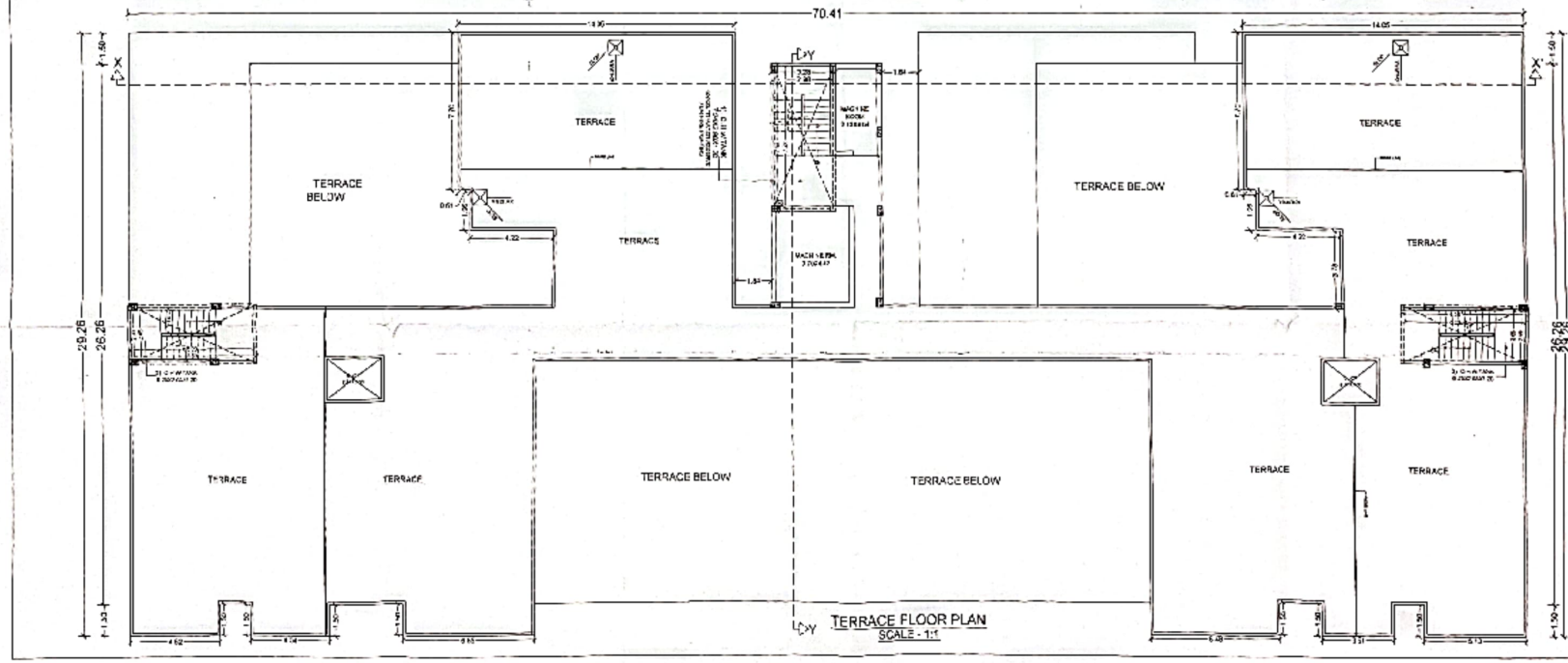
SANCTION OF PLAN ACCORDED

29/10/2021
निदेशक
नगरीय योजना
पटना नगर निगम, पटना

12/10/21
अनिल कुमार
सहायक
नगरीय योजना
पटना नगर निगम

05/21





SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL LEV.	LIN. LEV.	REMARK
D	1.20	2.10	0.00	2.10	FULLY PANELLED DOORS
D1	1.00	2.10	0.00	2.10	DO
D2	0.80	2.10	0.00	2.10	DO
D3	0.75	2.10	0.00	2.10	DO
		W I N D O W S			
W	1.80	1.20	0.75	2.10	FULLY GLAZED WINDOW
W1	1.20	1.20	0.75	2.10	DO
W2	1.00	1.20	0.75	2.10	DO
W3	0.80	1.20+1.20	0.75+1.20	2.10	DO
W4	0.60	0.75	1.20	2.10	DO

मिस्त्री/मोजदूर/श्रमिक-कर्मी/कार्यरत कारपुरिद/अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि भवन के निर्माण तथा उपयोग में लाने के पूर्व आ[illegible] सावधानियों में सुरक्षा की दृष्टि से, [illegible] शिवर, पार्किंग क्षेत्रफल गलियारे, पंच [illegible] के साथ तथा अन्य वांछित महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च मानक के C.C.T.V. कैमरा का अधिष्ठापन करेंगे अन्यथा संबंधित एवं एवं ठेकेदार के सुरक्षाकर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाई किया जायेगा।

Terms & Conditions:-

1) STP of requisite capacity is to be installed in the campus by the Builder/owner.
2) Water harvesting and Green area is to be maintained in the premises.
3) Solar power is to be installed in the campus.

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL CUM COMMERCIAL BUILDING PLAN FOR
01.SHREE AMARJEET KUMAR SINGH
S/O- LATE ACHYUTANAND SINGH,
02.SHREE KUMAR BRIJANANDAN SINGH
S/O- LATE SACHIDANAND KISHORE PRASAD SINHA,

CS PLOT NO - 294(P), THANA NO - 06,
C.S. KHATA NO. - 85,
MAUZA - LOHANIPUR, P.S -AGAMKUAN,
DIST. - PATNA(BIHAR).

Ar. Pankaj Kr. Karn (Engineer)
EnRP No.-[illegible]
M.Tech(Dis. Comp.) Dhn

SIGNATURE OF ARCH. ENG.

Ar. Amrendra Kumar (Structure Engineer)
Regn. No.-BE/01/2018 (P.M.C)

SIGNATURE OF OWNER

SIGNATURE OF STR. ENG.

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (PRDA)
Case No. [illegible]
Sanction of Plan Accorded under Section 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act, 2007 by the Municipal Commissioner, Patna or.....
Date...31/10/2021
SANCTION OF PLAN ACCORDED
17/01/2022
निदेशक
नगरीय योजनाएं
पटना नगर निगम, पटना

17/01/22
अखिल कुमार
नगरीय
नगरीय योजना
पटना नगर निगम

2610